बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अर्जन निदेशालय)

दिनांक–04.06.2019 को प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अध्यक्षता में विडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य में संचालित विभिन्न परियोजनाओं हेतु भू–अर्जन की राज्य स्तरीय समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सभी जिला भू–अर्जन पदाधिकारियों, एन0एच0ए0आई0 और रेलवे के अधिकारियों का सहायक निदेशक, भू–अर्जन द्वारा स्वागत किया गया।

2–प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा एन0एच0ए0आई0 एवं रेलवे द्वारा संचालित एवं कार्यान्वित की जा रही विभिन्न परियोजनाओं की जिलावार एवं परियोजनावार समीक्षा की गयी।

3. अररिया–सुपौल न्यू बी0जी0 लाईनः– इस परियेाजना अंतर्गत सुपौल जिला में कुल 26 राजस्व ग्रामों में भूमि का अर्जन आपात प्रकियान्तर्गत किया जा रहा है इस हेतु 17 राजस्व ग्रामों का अधिसूचना निर्गत किया जा चुका है। जिला भू अर्जन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 14.3 करोड का आवंटन प्राप्त है। दो मौजों में भुगतान भी प्रारंभ किया जा चुका है।

प्रधान सचिव द्वारा भू–अर्जन की प्रकिया यथाशीघ्र पूर्ण किये जाने का निदेश दिया गया।

4. बाढ़–बख्तियारपुर नई बडी रेल लाईनः– इस परियोजना अंतर्गत पटना जिले में कुल 7 राजस्व ग्रमों में कुल 19.99 एकड भूमि का अर्जन किया जा रहा है। संरचनाओं का भुगतान लंबित है।

प्रधान सचिव द्वारा संरचनाओं का भुगतान R and R पॉलिसी के तहत करने एवं दखल–कब्जा यथाशीघ्र दिलाने का निदेश जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना को दिया गया।

उक्त परियोजना के फेज–2 में 06 राजस्व ग्रामों में कुल–11.13425 एकड़ भूमि के अर्जन हेतु एस0आइ0ए0 की कार्रवाई प्रकियाधीन है।

5. नेउरा–दनियावा रेल लाईनः– इस परियोजना अंतर्गत पटना जिले में कुल 45 राजस्व ग्रामों में कुल 545.15 एकड भूमि का अर्जन किया जा रहा है, जिला भू अर्जन पदाधिकारी, पटना द्वारा बताया गया कि कुल प्राप्त राशि 117.39 करोड में से 102.01 करोड रू0 का वितरण किया जा चुका है। अवशेष मुआवजा राशि का भुगतान किया जा रहा है। मौजा–चामुचक मझौली का अधियाचना एस0आई0ए0 की प्रकिया में है। चामुचक मझौली एवं भुसौला दानापुर में प्रकृति निर्धारण हेतु छः सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। छुटे हुए खेसरा का अधियाचना अप्राप्त है।

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा अवशेष मुआवजा का भुगतान 15 दिनों में करने का निदेश जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना को दिया गया।

6. रामपुर–डुमरा टाल–राजेन्द्र नगर पुलः– इस परियोजना अंतर्गत पटना जिले में कुल 07 राजस्व ग्रामों में कुल 46.5754 एकड़ भूमि का अर्जन किया जा रहा है, जिला भू अर्जन पदाधिकारी, पटना द्वारा बताया गया कि कुल 6 राजस्व ग्रामों में भू अर्जन हेतु अधियाचना प्राप्त हुआ था। अधियाचित भूमि में पूर्व से अधिग्रहित भूमि जो रेलवे की थी, उस पर किसानों द्वारा कब्जा कर खेती की जा रही थी। रेलवे द्वारा कब्जा प्राप्त किया गया है। शेष भूमि का एस0आइ0ए0 की कार्रवाई प्रकियाधीन है।

7. बिहारशरीफ–बरबीघा नई रेल लाईनः– इस परियोजना अंतर्गत शेखपुरा जिला में कुल 262.2225 एकड़ भूमि का अर्जन किया जा रहा है। जिला भू अर्जन पदाधिकारी, शेखपुरा द्वारा बताया गया कि कुल प्राप्त 36.78 करोड में से 23.58 करोड रू0 का वितरण किया जा चुका है। नारायणपुर मौजा में उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में मुआवजा भुगतान हेतु नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

8. अररिया–गलगलिया नई बडी रेल लाईनः– इस परियोजना अंतर्गत किशनगंज जिला के कुल 16 राजस्व ग्रामों में कुल 365.69 एकड भूमि का अर्जन किया जा रहा है। जिला भू अर्जन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 14 मौजों का भुगतान हो चुका है तथा दखल कब्जा भी दे दिया गया है। 01 मौजा का भुगतान प्रकियाधीन है।

इस परियोजना अंतर्गत अररिया जिला में कुल 37 राजस्व ग्रामों में कुल 660.00 एकड भूमि का अर्जन किया जा रहा है। जिला भू अर्जन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि भुगतान हेतु 22 ग्रामों का नोटिस निर्गत किया गया है। 3.30 करोड का वितरण किया जा चुका है।

प्रधान सचिव द्वारा दोनों जिला भू–अर्जन पदाधिकारियों को मुआवजा भुगतान तीव्रता से करने का निदेश दिया गया।

09. करौता–पतनेर रेल लाईनः– इस परियोजना अंतर्गत लखीसराय जिला के 02 राजस्व ग्रामों में भू–अर्जन किया जाना है। एस0आई0ए0 प्रकियाधीन है।

10. एन0एच0–333बी (गंगा नदी पर निर्माणाधीन रेल सह सडक पुल का पहुंच पथ):– इस परियोजना अंतर्गत मुंगेर जिला के कुल 34 राजस्व ग्रमों में कुल 48.47 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है, जिला भू अर्जन पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा बताया गया कि कुल प्राप्त राशि 90.00 करोड में से 53.40 करोड रू0 का वितरण किया जा चुका है। अवशेष मुआवजा राशि का भुगतान किया जा रहा है। 10 ग्रामों में सरकारी भूमि का हस्तांतरण का मामला प्रकियाधीन है। कुल जगहों पर आम का पेड होने के कारण रैयतों द्वारा फल/पेड का मुआवजा की मांग की जा रही है। क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा मुआवजा का भुगतान शीघ्र किये जाने का अनुरोध किया गया है। टोपो लैंड भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में ध्यान आकृष्ट किया गया।

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा संरचना का नियमानुसार मुल्याकन कर भुगतान यथाशीघ्र करने का निदेश दिया गया तथा टोपो लैंड भूमि पर रैयती दावों का निष्पादन विभागीय निदेश के आलोक में करने का सुझाव दिया गया।

इस परियोजना अंतर्गत बेगूसराय जिला के कुल 20.42 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है, जिला भू अर्जन पदाधिकारी, बेगूसराय द्वारा बताया गया कि कुल प्राप्त राशि 46.72 करोड में से 43.00 करोड रू0 का वितरण किया जा चुका है। 565 रैयतों में से 514 का भुगतान किया जा चुका है। 05 ग्रामों का दखल कब्जा भी दिया जा चुका है। एलाइनमेंट में मंदिर/कब्रिस्तान/शवदाह गृह इत्यादि अवस्थित है। क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि बची हुई राशि के वितरण के उपरान्त शेष राशि उपलब्ध करा दी जायेगी। सरकारी भूमि का हस्तांतरण भी किया जाना अपेक्षित है। गोविन्दपुर टोल प्लाजा के लिए भू–अर्जन हेतु 3ए यथाशीघ्र करने का निदेश दिया गया।

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा संरचनाओं का भुगतान 15 दिनों में करने तथा सरकारी भूमि के हस्तांतरण हेतु प्रस्ताव विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

11. एन0एच0–107– (सहरसा–मधेपुरा–खगडिया एवं पूर्णिया):– इस परियोजना अंतर्गत सहरसा जिला के कुल 16 राजस्व ग्रामों में कुल 84.326 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है, जिला भू अर्जन पदाधिकारी,

सहरसा द्वारा बताया गया कि कुल प्राप्त राशि 57.157 करोड में से 1.74 करोड रू0 का वितरण किया गया है। अवशेष मुआवजा राशि का भुगतान किया जा रहा है। 15 राजस्व ग्रामों का 3जी स्वीकृत है। एक राजस्व ग्राम में फिर से 3डी किया जाना अपेक्षित है। क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा मुआवजा भुगतान की गति काफी धीमी होने की ओर प्रधान सचिव का ध्यान आकृष्ट किया गया। जिला भू अर्जन पदाधिकारी, सहरसा द्वारा बताया गया कि भूमि की प्रकृति एवं दर निर्धारण के संबंध में रैयतों द्वारा काफी अधिक संख्या में दी गयी आपत्ति/कोर्ट केस/विवाद इत्यादि के कारण मुआवजा भुगतान की गति धीमी है।

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा मुआवजा भुगतान की गति को तीव्र करने का निदेश दिया गया।

इस परियोजना अंतर्गत मधेपुरा जिला में प्रथम चरण में कुल–02 राजस्व ग्रामों में कुल–2.261 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। द्वितीय चरण में कुल–13 राजस्व ग्रमों में कुल 67.66 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है, जिला भू अर्जन पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि अवशेष मुआवजा राशि का भुगतान किया जा रहा है। 02 राजस्व ग्राम का 3जी एन0एच0ए0आई0 के पास लंबित है। 2 मौजा का 3जी0 आपत्ति के साथ वापस किया गया है। एक मौजा में शिक्षा विभाग की भूमि है, जिसका हस्तांतरण किया जाना है।

इस परियोजना अंतर्गत खगड़िया जिला के 01 राजस्व ग्रम में कुल 3.866 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है, जिला भू अर्जन पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा बताया गया कि अवशेष मुआवजा राशि का भुगतान किया जा रहा है।

इस परियोजना अंतर्गत पूर्णियां जिला के कुल 06 राजस्व ग्रामों में कुल 39.67 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है, जिला भू अर्जन पदाधिकारी, पूर्णियां द्वारा बताया गया कि 3.47 करोड राशि प्राप्त हुआ है। । क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा कहा गया कि 04 राजस्व ग्रामों का प्राक्कलन स्वीकृत है, दो राजस्व ग्राम से संबंधित प्राक्कलन प्रस्ताव CALA स्तर पर लंबित है।

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा सभी संबंधित जिला भू–अर्जन पदाधिकारियों को अवशेष मुआवजा राशि का भुगतान यथाशीघ्र करने तथा सरकारी भूमि के हस्तांतरण हेतु प्रस्ताव विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का निदेश।

12. एन0एच0–31(खंड) (औंटा–सिमरिया के बीच गंगा नदी पर पुल एवं पहूंच पथ):– इस परियोजना अंतर्गत पटना जिला के कुल 08 राजस्व ग्रमों में कुल 44.11 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है, जिला भू अर्जन पदाधिकारी, पटना द्वारा बताया गया कि कुल प्राप्त 108.13 करोड राशि में से 46.29 करोड का वितरण किया गया है। मिसिंग प्लॉट का 3ए हो चुका है। क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि अवशेष मुआवजा भुगतान तीव्रगति से भुगतान किये जाने की आवश्यकता है। पेड़ तथा संरचनाओं का 3जी प्राक्कलन जिला स्तर पर लंबित है। मार्गरेखन में बीच–बीच में मुआवजा का भुगतान बचे होने के कारण कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है।

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा 15 दिनों के अंदर मुआवजा भुगतान करने का निदेश दिया गया।

13. एन0एच0–31 (बख्तियारपुर–मोकामा खंड):– इस परियोजना अंतर्गत पटना जिला के कुल–39 राजस्व ग्रामों में कुल 587.35 एकड़ भूमि का अर्जन किया जाना है। जिला भू अर्जन पदाधिकारी, पटना द्वारा बताया गया कि कुल स्वीकृत 531.88 करोड़ में से 424.81 करोड़ का वितरण किया जा चुका है। अवशेष मुआवजा

भुगतान प्रकियाधीन है। क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा मुआवजा वितरण तीव्रगति से किये जाने का अनुरोध किया गया। क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा अनुरोध किया गया कि मौजा–चिन्तामनचक में जिला स्तर से पूर्व में अर्जित भूमि के संबंध में एक प्रतिवेदन अपेक्षित है ताकि ROW का निर्धारण किया जा सके। छुटे हुए प्लॉट का 3जी शीघ्र करने का अनुरोध भी किया गया। बाईपास निर्माण हेतु यातायात के लिए 06 प्लॉट का भुगतान भी शीघ्र करने का अनुरोध किया गया ताकि मौनसून में भी कार्य जारी रहें।

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा मुआवजा का भुगतान यथाशीघ्र करने का निदेश जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना को दिया गया।

14. एन0एच0–80 (मुंगेर–मिर्जाचौकी):– इस परियोजना अंतर्गत मुंगेर जिला के कुल 36 राजस्व ग्रामों में कुल 117.12 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। जिला भू अर्जन पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा बताया गया कि 34 राजस्व ग्रामों का 3डी हो चुका है। 12 मौजा का 3जी स्वीकृति हेतु एन0एच0ए0आई0 को भेजा गया है।

15–एन0एच0–131ए (नरेनपुर–पूर्णियां–कटिहार):– इस परियोजना अंतर्गत पूर्णियां जिला के 08 राजस्व ग्रमों में कुल 18.12 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। जिला भू अर्जन पदाधिकारी, पूर्णिया द्वारा बताया गया कि 5 राजस्व ग्राम का 3जी एन0एच0ए0आई0 को प्रेषित किया गया है। 03 राजस्व ग्रामों का प्रस्ताव 2–3 दिनों में भेज दिया जाएगा। क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि संरचना तथा पेड़ों का प्राक्कलन CALA को समर्पित किया गया है जिसे उनके द्वारा जॉचोपरान्त अग्रसारित किया जाना अपेक्षित है।

इस परियोजना अंतर्गत एन0एच0ए0आई0 साहेबगंज से संबंधित कटिहार जिला के कुल 09 राजस्व ग्रमों में कुल 53.4268 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। जिला भू अर्जन पदाधिकारी, कटिहार द्वारा बताया गया कि 08 मौजों का दखल कब्जा दे दिया गया है। एक मौजा में भी भुगतान पूर्ण हो चुका है। शेष 01 मौजा में यथाशीघ्र दखल कब्जा दे दिया जायेगा। इस परियोजना में एन0एच0ए0आई0, पूर्णिया से संबंधित कटिहार जिले के कुल 31 राजस्व ग्रामों में भू अर्जन किया जाना है। जिला भू अर्जन पदाधिकारी, कटिहार द्वारा बताया गया कि 30 ग्रामों का 3जी एन0एच0ए0आई0 को भेजा जा चुका है। 01 मौजा का 3जी तीन दिनों में भेज दिया जायेगा। इस परियोजना के लिए 17.42 हे0 अतिरिक्त भूमि के लिए 3ए का सत्यापन CALA स्तर पर लंबित है।

16–एन0एच0–83 (पटना–गया–डोभी खंड):– इस परियोजना अंतर्गत पटना जिला के 29 राजस्व ग्रामों में कुल 184.63 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। जिला भू अर्जन पदाधिकारी, पटना द्वारा बताया गया कि अवशेष मुआवजा भुगतान प्रकियाधीन है। संरचनाओं का मुल्यांकन भी प्रकियाधीन है। मिसिंग प्लॉट का 3ए एन0एच0ए0आई0 द्वारा आपत्ति के साथ वापस किया गया है। दो राजस्व ग्राम पकडी तथा कोडिहारा का 3ए पुराने दर पर हुआ है। भूमि के प्रकृति के संबंध में भी विवाद है। क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि संरचनाओं का एवार्ड जिला स्तर पर लंबित है। मिसिंग प्लॉट का 3ए0 नोटिफिकेशन तथा 02 ग्रामों का संशोधित 3जी0 जिला स्तर पर लंबित है।

प्रधान सचिव द्वारा संरचनाओं का मुल्यांकन, अवशेष मुआवजा भुगतान, छुटे हुए खेसरों का 3ए0 एवं 02 ग्रामों का संशोधित 3जी0 यथाशीघ्र करने का निदेश जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना को दिया गया।

17. एन0एच0–82 (मोकामा–बरबीघा–बिहारशरीफ):– इस परियोजना अंतर्गत शेखपुरा जिला के 07 राजस्व ग्रमों में कुल 16.91 हे0 भूमि का अर्जन किया जाना है। जिला भू अर्जन पदाधिकारी, शेखपुरा द्वारा बताया गया कि अवशेष मुआवजा भुगतान प्रकियाधीन है। क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि केवटी, रानीविघा, दयालिविघा तथा रामपुर सिंडाय में अतिकमण हटाया जाना अति आवश्यक है।

उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने का निदेश प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा दिया गया। साथ ही संरचनाओं से संबंधित प्राक्कलन प्रस्ताव प्रतिवेदन के साथ एन0एच0ए0आई0 को भेजने का निदेश भी दिया गया।

इस परियोजना अंतर्गत नालंदा जिला के 13 राजस्व ग्रामों में कुल 98.61 हे0 भूमि का अर्जन किया जाना है। जिला भू अर्जन पदाधिकारी, नालंदा द्वारा बताया गया कि अवशेष मुआवजा भुगतान प्रकियाधीन है। कुछ जगहों पर रैयत भुगतान नहीं ले रहे है। एक नोटिस दे दिया गया है। दूसरी नोटिस कर राशि जमा करने की कार्रवाई की जाएगी। 11 मौजों का दखल–कब्जा दे दिया गया है। क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 01 राजस्व ग्राम–हुजूरपुर मेहदौर में मुआवजा भुगतान काफी धीमी गति से किया जा रहा है। साथ ही कैला तथा गिलानी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भी अपेक्षित है।

प्रधान सचिव द्वारा अवशेष मुआवजा भुगतान तथा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई यथाशीघ्र करने का निदेश जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, नालन्दा को दिया गया।

18. एन0एच0–30–84 (पटना–कोईलवर):– इस परियोजना अंतर्गत पटना जिला के 30 राजस्व ग्रामों में कुल 174.038 हे0 भूमि का अर्जन किया जाना है। जिला भू अर्जन पदाधिकारी, पटना द्वारा बताया गया कि मौजा–परेब में मुआवजा भुगतान की कार्रवाई की जा रही है। छुटे हुए खेसरा के अधिसूचना का प्रकाशन किया जा चुका है। क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा मुआवजा वितरण तीव्रगति से किये जाने का अनुरोध किया गया साथ ही बताया गया कि मौजा परेब में छुटे हुए खेसरा एवं अतिरिक्त भूमि का 3डी0 CALA स्तर पर लंबित है।

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा मुआवजा का भुगतान माह–जून के अन्त तक कर लिए जाने का निदेश जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना को दिया गया।

19–एन0एच0–30–84 (कोईलवर–भोजपुर खंड):– इस परियोजना अंतर्गत भोजपुर जिला के कुल–55 राजस्व ग्रामों में कुल 239.82 हे0 भूमि का अर्जन किया जाना है। जिला भू अर्जन पदाधिकारी, भोजपुर द्वारा बताया गया कि प्राप्त 234.00 करोड़ में से 177.00 करोड़ का वितरण किया जा चुका है। अवशेष मुआवजा भुगतान प्रकियाधीन है। बिहिया अंचल के 01 ग्राम रानीसागर का नक्शा अनुपलब्ध रहने के कारण प्राक्कलन तैयार करना संभव नहीं हो पा रहा है। चकबंदी से नक्शा उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है। चकबंदी निदेशालय द्वारा कहा गया है कि नक्शा बनाया जा रहा है 02–03 दिनों में उपलब्ध करा दिया जायेगा। क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा मुआवजा वितरण तीव्रगति से किये जाने का अनुरोध किया गया तथा बताया गया कि 01 राजस्व ग्राम रानीसागर का 3जी प्राक्कलन CALA स्तर पर लंबित है। संरचनाओं का मुल्याकन भी लंबित है।

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा मुआवजा का भुगतान यथाशीघ्र करने का निदेश जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, भोजपुर को दिया गया।

इस परियोजना अंतर्गत बक्सर जिला के कुल–42 राजस्व ग्रामों में कुल 138.524 हे0 भूमि का अर्जन किया जाना है। जिला भू अर्जन पदाधिकारी, भोजपुर द्वारा बताया गया कि प्राप्त 327.22 करोड़ में से 192.00 करोड़ का वितरण किया जा चुका है। अवशेष मुआवजा भुगतान प्रकियाधीन है। 12 राजस्व ग्रामों का 3जी प्राक्कलन त्रुटि निराकरण हेतु वापस किया गया है। क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा मुआवजा वितरण तीव्रगति से किये जाने का अनुरोध किया गया। साथ ही छुटे हुए खेसरा का 3ए प्रकाशन भी शीघ्र किये जाने का अनुरोध किया गया।

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा मुआवजा का भुगतान यथाशीघ्र करने का निदेश जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, बक्सर को दिया गया।

20. एन0एच0–02 (औरंगाबाद–वाराणसी खंड):– इस परियोजना अंतर्गत कैमूर जिला के कुल–34 राजस्व ग्रामों में कुल 32.68 हे0 भूमि का अर्जन किया जाना है। जिला भू अर्जन पदाधिकारी, कैमूर द्वारा बताया गया कि प्राप्त 150.27 करोड़ में से 137.17 करोड़ का वितरण किया जा चुका है। अवशेष मुआवजा भुगतान प्रकियाधीन है। क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा, टोलप्लाजा निर्माण हेतु सरकारी भूमि का हस्तांतरण तथा बैठक में उपस्थित परियोजना निदेशक द्वारा भूमि की प्रकृति की जांच हेतु गठित छः सदस्यीय समिति के निर्णय की वैधानिकता के संबंध में पृच्छा की गयी इस संबंध में उन्हें स्पष्ट किया गया कि एन0एच0ए0आई0 के अनुरोध पर ही छः सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। इस संबंध में सभी पहलूओ की समीक्षा कर समाहर्त्ता, कैमूर से विमर्श कर अग्रतर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा सरकारी भूमि के हस्तांतरण हेतु प्रस्ताव विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, कैमूर को दिया गया।

इस परियोजना अंतर्गत रोहतास जिला के कुल–24 राजस्व ग्रामों में कुल 13.24 हे0 भूमि का अर्जन किया जाना है। जिला भू अर्जन पदाधिकारी, रोहतास द्वारा बताया गया कि प्राप्त 104.89 करोड़ में से 82.05 करोड़ का वितरण किया जा चुका है। 23 मौजा का पंचाट घोषित किया जा चुका है। 01 मौजा का पंचाट लंबित है। अवशेष मुआवजा भुगतान प्रकियाधीन है। क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा मुआवजा वितरण तीव्रगति से किये जाने का अनुरोध किया गया। जिला भू अर्जन पदाधिकारी, रोहतास द्वारा बताया गया कि स्वत्व वाद, आपसी विवाद ईत्यादि के कारण मुआवजा भुगतान की गति धीमी है सिविल कोर्ट के द्वारा भी राशि लेने से इन्कार किया जा रहा है।

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा उन्हें विवदित मामलों को सिविल कोर्ट में रेफर करने का निदेश दिया गया।

21. एन0एच0–30ए (फतुहा–हरनौत बाढ):– इस परियोजना अंतर्गत पटना जिला के कुल–07 राजस्व ग्रामों में कुल 58.29 हे0 भूमि का अर्जन किया जाना है। जिला भू अर्जन पदाधिकारी, पटना द्वारा बताया गया कि कुल स्वीकृत 110.51 करोड़ में से 79.60 करोड़ का वितरण किया जा चुका है। अवशेष मुआवजा भुगतान प्रकियाधीन है।

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा दनियाँवा–बाईपास में प्राथमिकता के आधार पर मुआवजा भुगतान करने का निदेश जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना को दिया गया।

22. एन0एच0–106 (फुलौत में कोशी नदी पर पुल निर्माण):– इस परियोजना अंतर्गत मधेपुरा जिला में 3ए के अनुसार कुल 19.411 हे0 भूमि का अर्जन किया जाना है। जिला भू अर्जन पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि 3डी जिला स्तर पर प्रकियाधीन है।

23. महात्मा गांधी सेतु के समानांतरण फोरलेन पुल निर्माण:– 3ए प्रकियाधीन है।

24. एन0एच0–57ए (फारबिसगंज–जोगबनी):– इस परियोजना अंतर्गत अररिया जिला के कुल–07 राजस्व ग्रामों में भूमि का अर्जन किया जाना है। जिला भू अर्जन पदाधिकारी, अररिया द्वारा बताया गया कि कुल स्वीकृत 79.12 करोड़ में से 68.31 करोड़ का वितरण किया जा चुका है। अवशेष मुआवजा भुगतान प्रकियाधीन है। क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा मुआवजा वितरण तीव्रगति से किये जाने का अनुरोध किया गया। उनके द्वारा बताया गया कि छुटे हुए खेसरा का 3जी जिला स्तर पर लंबित है। 15 संरचनाओं के प्राक्कलन की स्वीकृति माह–जनवरी, 2018 में ही दिये जाने के बावजूद उनका मुआवजा भुगतान अबतक लंबित है। रैयतों के मुआवजा भुगतान तथा 3जी का CALA स्तर पर लंबित होने के कारण परनाम तथा सीताधर नदी पर पुल का निर्माण रैयतों द्वारा बाधित किया जा

रहा है। जिला भू अर्जन पदाधिकारी, अररिया द्वारा बताया गया कि छुटे हुए खेसरा से संबंधित 3जी प्रस्ताव एन0एच0ए0आई0 को भेजा जा रहा है।

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा वैसे मामलों जिनमें संरचनाओं का मुआवजा रैयतों द्वारा नहीं लिया जा रहा है उनमें मुआवजा राशि प्रिंसिपल सिविल कोर्ट में जमा कर दखल–कब्जा देने का निदेश जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, अररिया को दिया गया।

25.एन0एच0–82 (बी0एस0आर0डी0सी0):– इस परियोजना अंतर्गत नालन्दा जिला के कुल–21 राजस्व ग्रामों में कुल–40.7599 हे0 भूमि का अर्जन किया जाना है। जिला भू अर्जन पदाधिकारी, नालन्दा द्वारा बताया गया कि अवशेष मुआवजा भुगतान प्रकियाधीन है। क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा मुआवजा वितरण तीव्रगति से किये जाने का अनुरोध किया गया।

बैठक की कार्रवाई धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त की गयी।

21/6/19

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र)
निदेशक,
भू–अर्जन, बिहार।

ज्ञापांकः–14/डी.एल.ए. एन.एच.ए.आई.(समीक्षा बैठक)–16/2018– 568 पटना, दिनांक–21/06/2019

प्रतिलिपिः–समाहर्त्ता एवं जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना/नालन्दा/भोजपुर/रोहतास/बक्सर/कैमूर/पूर्णियाँ/कटिहार/अररिया/किशनगंज/सहरसा/मधेपुरा/सुपौल/मुंगेर/बेगूसराय/जमूई/खगड़िया/लखीसराय एवं शेखपुरा बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/6/19

निदेशक,
भू–अर्जन, बिहार।

ज्ञापांकः–14/डी.एल.ए. एन.एच.ए.आई.(समीक्षा बैठक)–16/2018– 568 पटना, दिनांक–21/06/2019

प्रतिलिपिः–एन0 एच0 ए0 आई0 के पदाधिकारी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, डी0–63, प्रथम तल, श्रीकृष्णापुरी पटना–800001 एवं एन0 एच0 ए0 आई0 के पदाधिकारी, सड़क परिवहन एवं उच्च पथ मंत्रालय, भारत सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/6/19

निदेशक,
भू–अर्जन, बिहार।

ज्ञापांकः–14/डी.एल.ए.एन.एच.ए.आई.(समीक्षा बैठक)–16/2018– 568 पटना, दिनांक–21/06/2019

प्रतिलिपिः–महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर एवं महाप्रबंधक, उत्तर–पूर्व रेलवे, गोरखपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/6/19

निदेशक,
भू–अर्जन, बिहार।

ज्ञापांकः–14/डी.एल.ए.एन.एच.ए.आई.(समीक्षा बैठक)–16/2018– 568 पटना, दिनांक–21/06/2019

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/6/19

निदेशक,
भू–अर्जन, बिहार।

ज्ञापांकः–14/डी.एल.ए.एन.एच.ए.आई.(समीक्षा बैठक)–16/2018– 568 पटना, दिनांक–21/06/2019

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/6/19

निदेशक,
भू–अर्जन, बिहार।

ज्ञापांकः–14/डी.एल.ए. एन.एच.ए.आई.(समीक्षा बैठक)–16/2018– 568 पटना, दिनांक– 21/06/2019

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को ई–मेल एवं विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक,
भू–अर्जन, बिहार।